

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2021-22 / 875

दिनांक : 23.02.2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक वसूली / 06 / 2011-12 / 38 दिनांक 09.06.2011 के तहत वर्तमान में विभिन्न वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के अधीन समस्त राशि संग्रहण केन्द्रों पर आवंटित आवासों की मासिक किश्तें आदि राशि रु. 12,500/- तक नगद जमा की जा रही है।


उक्त आदेशों के अतिक्रमण में मण्डल के समस्त राशि संग्रहण केन्द्रों पर नगद राशि रु. 12,500/- के स्थान पर अधिकतम राशि रु. 49,000/- तक नगद जमा करने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

मण्डल के समस्त राशि संग्रहण केन्द्रों पर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावे।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
9. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
12. रक्षित पत्रावली।


(संजय शर्मा)
वित्तीय सलाहकार